Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में आबकारी थाना चौमू के प्रहराधिकारी व कानिस्टेबल 3100 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज बुधवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये आबकारी थाना चौमू के प्रहराधिकारी सुमेर सिंह एवं कानिस्टेबल अंगद सिंह को परिवादी से 3100 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में दर्ज प्रकरण में कार्यवाही हल्की करने की एवज में आबकारी थाना चौमू के प्रहराधिकारी सुमेर सिंह एवं कानिस्टेबल अंगद सिंह द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अंगद सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह राजपूत निवासी प्लॉट नं0 18, श्यामनगर, रमनबाड़ी, बैनाड़ रोड, थाना करधनी जयपुर हाल कानि0 आबकारी थाना चौमू जिला जयपुर को परिवादी से **3100 रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुमेर सिंह पुत्र श्री ओनाड़ सिंह निवासी माण्डोता, तहसील धोद, जिला सीकर हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना चौमू जिला जयपुर को भी बाद पूछताछ प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा पहले ही परिवादी से 6900 रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल किये जा चुके थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।